केंद्रीय हिंदी निदेशालय दवारा वर्ष 2003 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी में मानक हिंदी वर्तनी के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए थे: संयक्त वर्ण 1.1 खड़ी पाई वाले व्यंजन- खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएँ। यथा:-ख्याति, लग्न, विघ्न,कच्चा, छज्जा,नगण्य ,क्त्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा क और फ/फ़ के संयुक्ताक्षर-संयुक्त, पक्का, दफ़्तर आदि की तरह बनाए जाएँ, न कि संयुक्त, (पक्का लिखने में क के नीचे क नहीं) की तरह। 1.2.2 ड, छ, ट, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ। यथा:-वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिहन, ब्रहमा आदि।

मानक हिंदी वर्तनी

2.2.1 हिंदी के कारक चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक लिखे जाएँ। जैसे :- राम ने, राम को, राम से स्त्री का, स्त्री से, सेवा में आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिहन प्रातिपादिक के साथ मिलाकर लिखे जाएँ। जैसे :- तूने, आपने, तमसे, उसने, उसको, उससे, उसपर आदि 2.3 क्रिया पद संयुक्त क्रिया पदों में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाएँ। जैसे :- पढ़ा करता है, आ सकता है, जायाँ करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि।

मानक हिंदी वर्तनी-

2.4 हाइफ़न (योजक चिह्न)

कारक चिहन

2.4.1 द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफ़न रखा जाए। जैसे :- राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती संवाद, देख-रेख, चाल-चलन, हँसी-मज़ाक,

2.4.0 हाइफ़न का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है।

मानक हिंदी वर्तनी-2.5 अव्यय 2.5.1 'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ। जैसे :-यहाँ तक, आपके साथ। 2.5.2 आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंत्, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे कारक चिहन भी आते हैं। जैसे:-अब सें, तब से, यहाँ से, वहाँ से सदा से आदि।

(चद्राबदु)
2.6.0 अनुस्वार व्यंजन है और अनुनासिकता स्वर का नासिक्य विकार। हिंदी में ये दोनों अर्थभेदक भी हैं। अत हिंदी में अनुस्वार (ं) और अनुनासिकता चिहन (ँ) दोनों ही प्रचलित रहेंगे।

2.6 अनुस्वार (शिरोबिंदु/बिंदी) तथा अनुनासिकता चिहन

मानक हिंदी वर्तनी-2.7 विसर्ग (:)

2.7.1 संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे :- 'दु:खानुभूति' में। यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे :- 'दुख-सुख के साथी'।

2.8 हल् चिह्न (्)

2.8.1 (्) को हल् चिह्न कहा जाए न कि हलंत। व्यंजन के नीचे लगा हल् चिह्न उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है, यानी वह व्यंजन विशुद्ध रूप से व्यंजन है। इस तरह से 'जगत्' हलंत शब्द कहा जाएगा क्योंकि यह शब्द व्यंजनांत है, स्वरांत नहीं।

मानक हिंदी वर्तनी-

2.9.1 संस्कृतम्लक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया जाए। अतः 'ब्रह्मा' को 'ब्रम्हा', 'चिह्न' को 'चिन्ह', 'उऋण' को 'उरिण' में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रहीत, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्याधिक, अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं हैं। इनके स्थान पर क्रमशः गृहीत, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए।

2.10 'ऐ', 'औ' का प्रयोग

2.10.1 हिंदी में ऐ (ै), औ (ौ) का प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार का उच्चारण 'है', 'और' आदि में मूल स्वरों की तरह होने लगा है; जबिक दूसरे प्रकार का उच्चारण 'गवैया', 'कौवा' आदि शब्दों में संध्यक्षरों के रूप में आज भी सरक्षित है।

2.11 पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय 'कर' 2.11.1 पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसें:- मिलाकरॅ, खा-पीकर, रो-रोकर आदि। 2.11.2 कर + कर से 'करके' और करा + कर से 'कराके' बनेगा 2.12 वाला 2.12.1 क्रिया रूपों में 'करने वाला', 'आने वाला', 'बोलने वाला' आदि को अलग लिखा जाए। जैसे :- मैं घर जाने वाला हूँ, जाने वाले लोग। 2.12.2 योजक प्रत्यय के रूप में 'घरवाला', 'टोपीवाला' (टोपी बेचने वाला), दिलवाला, दूधवाला आदि एक शब्द के समान ही लिखे जाएँगे।2.12.3 'वाला' जब प्रत्यय के रूप में आएगा तब तो 2.12.2 के अनसार मिलाकर लिखा जाएगा; अन्यथा अलग से। यह वाला, यह वाली, पहले वाला, अच्छा वाला, लाल वाला, कल वाली बात आदि में वाला निर्देशक शब्द है। अत इसे अलग

मानक हिंदी वर्तनी-

ही लिखा जाए।

2.13 श्रुतिमूलक 'य', 'व' 2.13.1 जहाँ श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग विकल्प से होता है वहाँ न किया जाए, अर्थात् किए : किये, नई : नयी, हआ : हवा आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए। जैसे :- दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि। 2.14.1 उर्दू शब्द उर्दू से आएँ अरबी-फ़ारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुकें हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं।

मानक हिंदी वर्तनी-

जैसे :- कलमें, किला, दाग आदि (कलम, क़िला, दाग नहीं)। पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो, वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएँ। जैसे :- खाना :

मानक हिंदी वर्तनी- 2.14.3 दविधा रूप वर्तनी

हिंदी में कुछ प्रचलित शब्द ऐसे हैं जिनकी वर्तनी के दो-दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत्समाज में दोनों रूपों की एक-सी मान्यता है। कुछ उदाहरण हैं: गरदन/गर्दन, गरमी/गर्मी, बरफ़/बर्फ़, बिलकुल/बिल्कुल, सरदी/सर्दी, कुरसी/कुर्सी, भरती/भर्ती, फुरसत/फ़ुर्सत

2.15 अन्य नियम

- 2.15.1 शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।
- 2.15.2 फ़ुलस्टॉप (पूर्ण विराम) को छोड़कर शेष विरामादि चिहन वहीं ग्रहण कर लिए गए हैं जो अंग्रेज़ी में प्रचलित हैं। यथा :-- (हाइफ़न/योजक चिहन), -- (डैश/निर्देशक चिहन), :-- (कोलन एंड डेश/विवरण चिहन), (कोमा/अल्पविराम), ;
- (सेमीकोलन/अर्धविराम), :